

फर्द अहकाम

मोरी देवी को

बनाम

व्य गोमादेवी कोर्ट

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

प्राचीन पत्र

108/2017

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

25418 वकील उमपपत्र 300
पेटेन्ट साक्षात् 30, पतावली
वाले पत्र को जलसा 300
शेखे अणार्णिकण न जवाब आणता
हारीवी अणार्णिक व. 13 दिनांक 29-1-18
को पत्र हो तब तक पूर्व आदेश
पुनर्ही रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

29610 पतावली राजस्व लोकेअडालत
वाप आपके डा 2018 केमप विभाग
के पत्र हुआ उमपपत्र का (15 उपरि लिख)
पत्रकार को बुला गया। पतावली
का अडालत का अदन किया
गया। अतः शूलवाड़ के लक्ष्मी पत्र
पुनर्ही के वाप पूर्ण निस्तारण तक
दोनों पत्रों को न कलल शूलवाड़
अस्थापी निषेधाज्ञा से वाबन्द किया
जाता है कि शूके एन. 2724/0.48

रमेश

पुरण मल

2727, 2728, 2731, 2732, 2733
0.09, 0.50, 0.15, 0.17, 0.25
2734, 2735 के वाप विभाग
0.34, 0.42 के शूलवाड़ विभाग

के राजस्व लोकेअडालत
को का की धरणी स्थिति बुलाये रखे
प्रकार नकर से कम है। निर्णय
भजगा ए आम केमप कोर्ट विभाग
के पुनापा गया।

उ

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)

